



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26350 वर्ष 2026

असगर अली

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : प्रशांत व्यास, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए., मनु श्रीवास्तव, श्रियांशी उपाध्याय

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम श्री विजय कुमार ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 30.07.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने मामले के जांच अधिकारी को कथित घटना और मामले की डायरी की पेन ड्राइव के साथ स्वयं इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन चल रही कांवड़ यात्रा के कारण दुर्भाग्यवश मामले के जांच अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। उनके स्थान पर श्री विमल किशोर, पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, जिला रामपुर के सब इंस्पेक्टर, स्वयं इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और उनके पास कथित घटना और मामले की डायरी की पेन ड्राइव है।
- इस न्यायालय के निर्देश पर, विद्वान एजीए ने कथित घटना से संबंधित तीन पेन ड्राइव सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए, जिसे आवेदक और शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और विद्वान एजीए के समक्ष सील तोड़कर खोला गया। कथित घटना से संबंधित एक पेन ड्राइव मॉनिटर पर चलाई जा रही है।
- आवेदक के अधिवक्ता, मुखबिर के अधिवक्ता और माननीय एजीए के समक्ष पेन ड्राइव चलाने के बाद, मॉनिटर से पेन ड्राइव को हटाकर उसे दोबारा सील कर दिया गया और सील करने के बाद उसे माननीय एजीए को लौटा दिया गया, जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष उसे पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, जिला रामपुर के सब-इंस्पेक्टर विमल किशोर को सौंप दिया।
- शिकायतकर्ता द्वारा दायर प्रति-शपथ पत्र और आवेदक द्वारा दायर प्रत्युत्तर शपथ पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
- आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.एस. चतुर्वेदी, जिनकी सहायता श्री प्रशांत व्यास, विद्वान अधिवक्ता कर रहे थे, मुखबिर की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीष तिवारी, जिनकी सहायता श्री मनु श्रीवास्तव और सुश्री श्रियांशी उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता कर रहे थे, और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I श्री विजय कुमार की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. यह जमानत याचिका, मुकदमे की सुनवाई के दौरान, धारा 103(1), 115(2), 352, 296 बीएनएस और धारा 3/27/30 शस्त्र अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, जिला रामपुर में केस क्राइम नंबर 57/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

7. आवेदक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हालांकि यह प्रस्तुत किया कि आरोप के अनुसार, आवेदक ने अपने कार्यालय में मृतक की गोली मारकर हत्या की, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

8. उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार भी कथित घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसकी पेन ड्राइव इस न्यायालय के समक्ष चलाई गई है और इसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक की पिस्तौल से गोली चलाई गई थी, लेकिन वीडियो से यह स्पष्ट है कि घटना हाथापाई के दौरान आवेश में आकर घटी थी।

9. वह आगे यह भी कहता है कि वीडियो से भी यह स्पष्ट है कि मृतक आवेदक के कार्यालय में दाखिल हुआ और उससे झगड़ा करने लगा तथा कहासुनी के बाद घटना घटी और वीडियो में यह नहीं दिख रहा है कि आवेदक ने जानबूझकर मृतक को गोली मारकर घायल किया।

10. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में भी आवेदक को गोली लगने से चोट आई है और उनकी चिकित्सा रिपोर्ट दस्तावेज के पृष्ठ 157 पर संलग्न है। अभियोजन पक्ष ने उनकी चोट का स्पष्टीकरण नहीं दिया है और यह तथ्य एक बार फिर आवेदक की निर्दोषता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि घटना का सीसीटीवी फुटेज चश्मदीनों के बयानों को पूरी तरह से गलत साबित करता है।

11. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक लोक सेवक है और वह अपने पद पर रहते हुए ऐसा जघन्य अपराध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। चूंकि मृतक प्रथम दृष्टया हमलावर प्रतीत होता है, इसलिए आवेदक और मृतक के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और हाथापाई के दौरान अचानक आवेदक की पिस्तौल से गोली चल गई, जो दुर्भाग्यवश मृतक को लगी और उसकी मृत्यु हो गई।

12. उन्होंने आगे कहा कि वीडियो से और यहां तक कि मामले के तथ्यों से भी यह नहीं झलकता कि आवेदक का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा था।

13. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 13.02.2026 से यानी पिछले छह महीने से अधिक समय से जेल में है।

14. इसके विपरीत, मुखबिर की ओर से पेश हुए विद्वान एजीए और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया और कहा कि आवेदक हालांकि एक लोक सेवक है, लेकिन उसने अवैध रूप से अपने कार्यालय में लाइसेंसी पिस्तौल रखी थी और इतना ही नहीं, घटना के दौरान उसने उसी पिस्तौल का इस्तेमाल भी किया, जिसके कारण मृतक घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।

15. उन्होंने आगे कहा कि मृतक एक अधिवक्ता थे और वीडियो से भले ही यह पता चलता है कि उन्होंने आवेदक से झगड़ा शुरू किया था, लेकिन उसके बाद आवेदक ने पिस्तौल लेकर उनका पीछा करते हुए उन्हें दरवाजे तक ले गया और फिर से हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान उन्होंने गोली चला दी, जो मृतक को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर कथित घटना के वीडियो को देखने से भी यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और

यह घटना अचानक उकसावे में घटी। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में भी आवेदक फरवरी 2026 से ही जेल में है।

16. अतः वे आगे निवेदन करते हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल जमानत याचिका खारिज कर दी जाए।

17. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।

18. आरोप के अनुसार, आवेदक एक लोक सेवक था और वह जिला पंचायत कार्यालय रामपुर में वरिष्ठ क्लर्क के पद पर तैनात था और कार्यालय में उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाकर मृतक की हत्या कर दी।

19. इससे पता चलता है कि घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, इसलिए आवेदक और सूचनादाता के अधिवक्ता के आग्रह पर और विद्वान ए.जी.ए. की सहमति से इस न्यायालय ने कथित घटना की पेन ड्राइव मंगवाई और न्यायालय में पक्षों के वकीलों के समक्ष उसे चलाया गया। फुटेज/वीडियो देखने के बाद इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि आवेदक के कार्यालय में आवेदक और मृतक के बीच कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद आवेदक ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और मृतक का दरवाजे तक पीछा किया और उसके बाद हाथापाई के दौरान उसकी पिस्तौल से गोली चली जो मृतक को लगी। फुटेज से यह भी स्पष्ट होता है कि घटना के समय आवेदक के हाथ में पिस्तौल थी। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष है।

20. इसके अलावा, आवेदक एक लोक सेवक है और उसे अपने कार्यालय में लाइसेंसी पिस्तौल ले जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वह उसे अपने कार्यालय में ले गया और अपने हथियार का इस्तेमाल भी किया, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई, जो एक युवा अधिवक्ता था।

21. इसके अलावा, आवेदक भी 13.02.2026 से ही जेल में है।

22. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

23. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत याचिका खारिज की जाती है।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10 अगस्त, 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।